



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2012/पौष 14, 1933

No.12]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2012/PAUSA 14, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2012

का.आ. 14(अ).—यतः, मै. एस्ट्रा आईटी पार्क प्राईवेट लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य में माउंट पूनमाली हाई रोड, अयप्पान्थंगल पोरुर, चेन्नई में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 10 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 464(अ) में 10.194 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया;

और यतः, मै. एस्ट्रा आईटी पार्क प्राईवेट लिमिटेड ने सम्पूर्ण 10.194 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करके उसे दिनांक 19 अप्रैल, 2010 को अनुमोदित कर दिया है और अपनी सहमति से अवगत करा दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 की धारा 1 के अनुसरण में केन्द्र सरकार उपरोक्त अधिसूचना को निरस्त करती है सिवाय उन चीजों के जो ऐसे निरसन के पूर्व कारित की गई हैं या कारित किए जाने से निवारित की गई हैं।

[फा. सं. एफ. 1/30/2007-एसईजेड]

अनूप वधावन, संयुक्त सचिव

21 GI/2012

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2012

S.O. 14(E).—Whereas, M/s. Estra IT Park Private Limited, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Mount Poonamalee High Road, Aiyappanthangal, Porur, Chennai in the State of Tamil Nadu;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 10.194 hectares at above location as Special Economic Zone vide the Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 464(E) dated 10th March, 2008;

And, whereas, M/s. Estra IT Park Private Limited has proposed to denotify the entire area of 10.194 hectares of above Special Economic Zone and the Central Government has granted letter of approval for denotification of above area on 19th April, 2010;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F.No. F.1/30/2007-SEZ]

ANUP WADHAWAN, Jt. Secy.